

उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

राज्य बनाम तेजो पासी।

रैयती मान्यता वाद संख्या-11/2015-16

आदेश

अपर समाहर्ता, कोडरमा के पत्रांक 75/रा0 दिनांक 19-01-2017 से अभिलेख संख्या-11/2015-16 मौजा-विसोडीह, थाना नं0-48, खाता नं0-24, प्लॉट नं0-1064, रकवा-1.00ए0 गैरमजरूआ खास भूमि का रैयती मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत रकवा-1.00एकड़ भूमि की जमाबन्दी पंजी-11 के पृ0 सं0-149/07 पर तेजो पासी पिता-रेवा पासी के नाम से कायम है तथा लगान रसीद वर्ष 1991-92 से 2011-12 तक निर्गत है। उक्त भूमि बन्दोबस्ती वाद संख्या-50/1975-76 के द्वारा हासिल है। उक्त भूमि रकवा-1.00 एकड़ भूमि के0टी0पी0एस0, डी0वी0सी0, बांझेडीह परियोजना निर्माण हेतु अधिचाचित है।

अंचल अधिकारी, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी-सह-भूमि सुधार उप समाहर्ता; कोडरमा एवं अपर समाहर्ता, कोडरमा के द्वारा प्रस्तावित भूमि मौजा-विसोडीह, थाना नं0-48, खाता नं0-24, प्लॉट नं0-1064, रकवा-1.00ए0 को रैयती मान्यता प्रदान करने हेतु अनुशंसा कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजा गया है।

उपायुक्त, कोडरमा के द्वारा विपक्षी को नोटिस कर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया। विपक्षी तेजो पासी के पुत्र सुरेन्द्र पासी और सुरेश पासी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा लिखित जवाब निम्नवत है:-

1. That land of Mauza-Bisodih, P.S. no. 48, Khata No.24, Plot No.1064, area 1.00 acre was settled in 1975-76 and rent receipt was issued upto 2011-12 and total ara 1.00 acre land of said Khata, Plot acquired by K.T.P.S. (D.V.C).
2. That the said land was legally settled to my maternal grandfather thereafter my mother and our family by hard labour and expense of huge money turned said land into paddy land and started cultivating on that land.
3. That since settlement (1975-76) we are having right, title, interest and possession over said land and by cultivating on that land we are surviving and fulfilling our social liabilities.
4. That 0.38 acres my land acquired by K.T.P.S. (D.V.C) and dispossessed us from land without giving any compensation to us, due to this our lives became more painful.
5. That in reference of said land we produced our genuine documents before CO Jainagar for inspection and in inspection he find true our claim and report sent to S.D.O. Koderma and AC Koderma and to concerned superior authority find my claim true and report forwarded to your honour's court and all is matter of record.

That it is well settled law that if any land legally settled in his favour of farmer and have rightfull possession on Gair Mazurwa land, over 30 years he conquers the all right of raight of raiyat. In light of order of Sri A.C. Ranjan Principal Secretary Revenue and Land Reform department letter no. 210/02/06/2005 and in case of Dineshwar Prasad v/s.The State of Jharkhand & others an in Abdul Hamid Ansari & others Vrs. The State of Jharkhand & others an in case of Mamta Devi Vrs. The State of Jharkhand & others. May give recognition (Manyata) to us as raiyat.

सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया है कि उक्त जमीन पर तेजो पासी के नाम से 1975-76 से जमाबन्दी स्थापित है। उक्त जमीन पर रैयती मान्यता प्रदान किया जा सकता है।

अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। प्रश्नगत जमीन पर तेजो पासी के नाम से 1975-76 से जमाबन्दी कायम है और उनका दखल कब्जा है। अतः अंचल अधिकारी, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी-सह-भूमि सुधार उप समाहर्ता, कोडरमा एवं अपर समाहर्ता, कोडरमा की अनुशंसा के आलोक में उक्त जमीन पर रैयती मान्यता प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संश्लेषित

उपायुक्त, कोडरमा।



उपायुक्त
कोडरमा।